संख्या-252/2017/1909/22-2-2016-17(180)/2006

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 31 मार्च, 2017**

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अनिल कुमार पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद, निवासी जनपद-हरदोई की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34860/प्रोबेशन-3(एम-06-09-2016) दिनांक 26.09.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 26-09-2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी अनिल कुमार पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद, मो0 मण्डई कस्बा व थाना-सण्डीला, जनपद-हरदोई का निवासी है। श्री लल्लूमल गुप्ता के भतीजे अतुल कुमार की बारात में दिनांक 03.03.1978 को रात्रि में लगभग 10.00 बजे औरतों से छेडछाड. करने के उद्देश्य से बारात में शामिल होकर 03 सहअभियुक्तों के साथ राजेश कुमार, बिनोद कुमार व कृष्ण कुमार पर चाकू व डण्डे से हमला किया, जिसमें कृष्ण कुमार की मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-ए346/1980 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34 में मा0 चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, हरदोई के आदेश दिनांक 06.06.1981 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20.08.1999 द्वारा सत्र न्यायालय के निर्णय को यथावत् रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 09.03.2016 तक 15 वर्ष 04 माह 15 दिन की अपरिहार तथा 20 वर्ष 05 माह 17 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण अच्छा एवं सुधारात्मक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, हरदोई द्वाराबन्दी द्वारा जघन्य अपराध कारित किए जाने, भविष्य में पुन: अपराध करने की सम्भावना होने, बन्दी के पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई ने बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी द्वारा औरतों से छेडछाड. करने के उद्देश्य से बारात में शामिल होकर चाकू व डण्डे से हमला कर कृष्ण कुमार की निर्दयतापूर्वक हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी की आयु 50 वर्ष लगभग है तथा शारीरिक रूप

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

से स्वस्थ होने के साथ ही पुन: अपराध करने में अशक्त नही हैं। इसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई द्वारा अतिरिक्त 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी अनिल कुमार पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद, निवासी जनपद-हरदोई को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी अनिल कुमार (बन्दी संख्या-14345) पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद, निवासी जनपद-हरदोई के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-252/2017/1909(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-हरदोई।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-252/2017/1909@22-2-2016-17(180)/2016

दिनांक 31 मार्च, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध बन्दी अनिल कुमार (बन्दी संख्या-14345) पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद, निवासी मो0 मण्डई कस्बा व थाना-सण्डीला, जनपद-हरदोई का निवासी है। श्री लल्लूमल गुप्ता के भतीजे अतुल कुमार की बारात में दिनांक 03.03.1978 को रात्रि में लगभग 10.00 बजे औरतों से छेडछाड करने के उद्देश्य से बारात में शामिल होकर 03 सहअभियुक्तों के साथ राजेश कुमार, बिनोद कुमार व कृष्ण कुमार पर चाकू व डण्डे से हमला किया, जिसमें कृष्ण कुमार की मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-ए346/1980 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34 में मा0 चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, हरदोई के आदेश दिनांक 06.06.1981 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20.08.1999 द्वारा सत्र न्यायालय के निर्णय को यथावत् रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 09.03.2016 तक 15 वर्ष 04 माह 15 दिन की अपरिहार तथा 20 वर्ष 05 माह 17 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण अच्छा एवं सुधारात्मक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, हरदोई द्वारा बन्दी द्वारा जघन्य अपराध कारित किए जाने, भविष्य में पुन: अपराध करने की सम्भावना होने, बन्दी के पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई ने बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी द्वारा औरतों से छेडछाड. करने के उद्देश्य से बारात में शामिल होकर चाकू व डण्डे से हमला कर कृष्ण कुमार की निर्दयतापूर्वक हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी की आयु 50 वर्ष लगभग है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ ही पुन: अपराध करने में अशक्त नही हैं। इसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई द्वारा अतिरिक्त 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी अनिल कुमार पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद, निवासी जनपद-हरदोई को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in